भा.कृ.अनु.प.– भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान

लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली–12

सं. 9(5)/2019–हिन्दी

दिनांक : २५ मई, 2019

परिपत्र

संस्थान में कार्यरत अँग्रेजी आशुलिपिकों/अँग्रेजी टंककों को अँग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में आशुलिपि एवं हिन्दी टंकण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी प्रोत्साहन योजना, जो 20 दिसम्बर 2003 के परिपत्र सं. 9(21)/2003–हिन्दी के माध्यम से संस्थान में लागू है, दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के लिए परिचालित की जा रही है । योजना की रूपरेखा निम्नानुसार है :

1. समस्त अँग्रेजी आशुलिपिक एवं अँग्रेजी टंकक इस योजना में भाग ले सकते हैं।
2. अँग्रेजी के वे आशुलिपिक एवं टंकक भी इस प्रोत्साहन भत्ता योजना के लिए पात्र होंगे जो कम्प्यूटर पर कार्य करते हैं ।
3. वे आशुलिपिक एवं टंकक जो अँग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी में औसतन 5 टिप्पणियाँ/प्रारूप पत्र प्रतिदिन अथवा 300 टिप्पणियाँ प्रारूप पत्र/प्रति तिमाही टंकित करते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है । केवल एक या दो पंक्तियों के प्रारूप/टिप्पणियाँ इसमें शामिल नहीं होंगी ।
4. अँगेजी के आशुलिपिक एवं टंकक द्वारा किये गये कार्य का प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में उनके सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जिस अधिकारी द्वारा उनसे काम लिया जा रहा है, द्वारा दिया जाएगा ।
5. जब आशुलिपिक/टंकक दोनों भाषाओं में कार्य करना आरम्भ करें तब से पहले 6 महीनों के लिए यह प्रमाण–पत्र प्रतिमाह देना आवश्यक हैं और उसके पश्चात प्रत्येक 3 महीने में एक बार ।
6. भारत सरकार, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली के 28 जुलाई 1988 के का. ज्ञापन सं. 13017/4/90–ओ.एल. (सी) (पार्ट) के अनुसार इस योजना के अंतर्गत अँग्रेजी आशुलिपिकों को रु. 120/– प्रतिमाह और अँग्रेजी टंककों को रु. 80/– प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा ।
7. यह विशेष भत्ता वेतन नहीं माना जायेगा और इस राशि पर किसी प्रकार का भत्ता, जैसे एच.आर.ए., डी.ए. इत्यादि देय नहीं होगा ।
8. जिन आशुलिपिकों एवं टंककों को हिन्दी शिक्षण योजना के तहत वैयक्तिक वेतन वृद्धि के रूप में अग्रिम वेतन–वृद्धि का लाभ मिल रहा है उन्हें एक समय में सिर्फ एक योजना का ही लाभ मिल सकता है ।
9. निदेशक द्वारा नियुक्त अधिकारी तथा आशुलिपिक और टंककों पर पर्यवेक्षीय नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह विशेष भत्ता सम्बन्धित आशुलिपिक/टंकक द्वारा द्विभाषी रूप में कार्य करने पर ही प्राप्त किया जाये।

10. इन निदेशों का दुरुपयोग कर वास्तव में कार्य किये बगैर विशेष भत्ते का विनियोग उसी प्रकार का दुरुपयोग माना जायेगा जैसे कि केन्द्रीय सरकार के नियमों के अन्तर्गत अन्य भत्तों के विनियोग के सम्बन्ध में अनियमितता को समझा जाता है ।

इस योजना में शामिल होने के इच्छुक सभी अँग्रेजी आशुलिपिकों/टंककों को सलाह दी जाती है कि वे 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान किये गये कार्य का रिकार्ड उपरोक्तानुसार, निर्धारित संलग्न प्रपत्र में, सत्यापित कराकर 25 अप्रैल 2020 तक हिन्दी में भिजवाने की कृपा करें ।

यह परिपत्र निदेशक, भा.कृ.सां.अ.सं. के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है ।

ऊषा जैन

(ऊषा जैन)
प्रभारी, हिन्दी एकक एवं
सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी

वितरण :

1. समस्त प्रभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत अँग्रेज़ी आशुलिपिकों/अँग्रेज़ी टंककों के बीच इसे परिचालित करने की कृपा करें।
2. निदेशक महोदय के निजी सहायक ।
3. कार्यालय प्रधान के निजी सहायक ।
4. वरिष्ठ वित्त एंव लेखा अधिकारी के निजी सहायक ।
5. अध्यक्ष, संगणक अनुप्रयोग प्रभाग से अनुरोध है कि इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने की कृपा करें ।
6. महत्वपूर्ण आदेशों की फ़ाइल ।

हिन्दी प्रोत्साहन पाने के लिए अपेक्षित प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पदनाम .....

अनुभाग/प्रभाग/एकक ..... ने दिनांक ..... से .....

तक की अवधि के दौरान अपने काम का कुछ भाग हिन्दी आशुलिपि/हिन्दी टाइपिंग में किया । हिन्दी में किये गये काम की मात्रा, उपर्युक्त मास में ओसतन 5 टिप्पणियाँ/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन/उपर्युक्त तिमाही में लगभग 300 टिप्पणियाँ/प्रारूप/पत्र से कम नही थीं ।

सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर : –

नाम : .....

पदनाम : .....

अनुभाग/प्रभाग : .....

दिनांक : .....